भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1897

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में संशोधित पदोन्नति नीति

†1897. डॉ. मल्लू रवि:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरंभ की गई संशोधित पदोन्नति नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए गैर-आनुपातिक रूप से उच्च कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं और क्या सभी स्तरों पर वंचित अधिकांश लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बाद में कनिष्ठ पसंदीदा अधिकारियों को समायोजित करने के लिए नीति में बदलाव किया गया, जिसमें चुनिंदा रूप से कुछ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया, जबकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सामान्य श्रेणी के कनिष्ठ अधिकारियों को उनके पहले प्रयास में ही पदोन्नत कर दिया गया, जबकि वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को अस्वीकृत कर दिया गया और यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय का इन मुद्दों की जांच करने और निष्पक्षता, पारदर्शिता और आरक्षण मानदंडों के अनुपालन के हित में संशोधित पदोन्नति नीति की समीक्षा करने या उसे वापस लेने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में पदोन्नति मेरिट-कम-वरिष्ठता के आधार पर और निष्पक्षता, समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

(घ) : उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

****